|| श्री गणेशाय नमः || 1247 5000 Rs. 9 3

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUP

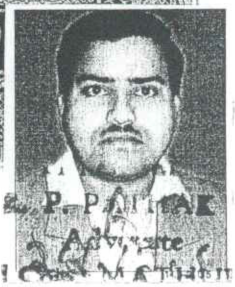

Senior Treasury Officer - Mathura

23 DEC 2005

Sig-Sr.T.O.

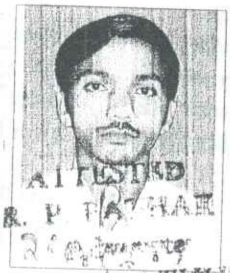

बैनामा 400000/–रूपया स्टाम्प हेतु मालियत 420000/–रूपया स्टाम्प देय 42000/–रूपया जिसमें से 16000/–रूपये का स्टाम्प बजरिये इकरारनामा दिनांक–29.7.2004 प्रलेख संख्या–6896 के द्वारा अदा कियाजा चुका है व शेष 26100/–रूपये का स्टाम्प इस समय अदा किया जा रहा है। बिक्रित आराजी स्थित मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा, मौजे की आराजी का सरकारी रेट सड़क से दूर होने की वजह से 400000/–रूपया प्रति एकड़ का है जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ संख्या–41 के कमांक 1 पर दर्ज है। कार्य क्षेत्र उ0नि0 मथुरा।

हमकि भगवान सिंह पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल व श्रीमती रामकटोरी पत्नी स्व0 श्री रामजीलाल निवासीगण ग्राम आन्यौर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व श्यामसिंह पुत्र श्री रामसिंह निवासी वृन्दावन दरवाजा मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

प्रति बैनामा

जनरल स्टाम्प
क्रमांक 8 दि० 24/12/2004 2004 पांच हजार मौ
नाम प्रताप सिंह पु० मोहनसिंह
स्थान ग्रा० मोती कुंज स्टेशन मथुरा

कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी
स्टाम्प विक्रेता लाइ० सं० 7 सन 1983
सदर रजिस्ट्री आफिस मथुरा

बैनामा 400000
420000

स्टाम्प अधिनियम की धारा 16-
के अन्तर्गत इकरारनामा सं० 6876
वर्ष 2004 पर अदा किया गया।
स्टाम्प श० 15900 विक्रय विलेख सं० 7407
के साथ समायोजित किया गया।

उ० नि० II मथुरा
25/1/05

किरय दस्तावेज 20-8020-
नि०शु० ..... रु० ..... योग 8040
हक लगायन .....

श्री ..... भगवान सिंह
पुत्र श्री ..... स्व० रामजीलाल
निवासी ..... मथुरा
ने यह प्रलेख आज दि० 25/1/05
को समय मध्य 4 दिन के कार्यालय
उप निबन्धक मथुरा में प्रस्तुत किया।

उप निबन्धक 25/1/05
मथुरा .....

प्रस्तुत लेखपत्र का विवरण सुन व समझ कर भगवान सिंह
तथा अंकेन मु० पत्नी रामजीलाल
प्राप्त कर श्री ..... 400000 पूर्वोजानुसार प्राप्त
प्र० पक्ष एवं श्री ..... प्रताप सिंह पुत्र राम सिंह
द्वितीय पक्ष ने स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री ..... उमेश
पुत्र श्री ..... कैलाशचन्द
निवासी ..... मथुरा
व श्री ..... राजु
पुत्र श्री .....
निवासी ..... मथुरा

उप निबन्धक
मथुरा 25/1/05

साक्षी भद्र प्रतीत होते हैं।
चिह्न अंगुष्ठ नियमानुसार लिये गये।

उप निबन्धक
मथुरा .....
25/1/05

5000Rs.

23 DEC 2005

(2)

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर–331 व खसरा नंबर–64 रकवा 0.636 हैक्टेयर लगानी 8.62 रूपया सालाना बाकै मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा का हिस्सा 2/3 मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। जिस हिस्से 2/3 पर विक्रेता प्रथमपक्ष का कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है जिस हिस्सा 2/3 में सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के हिस्से 2/3 का बैनामा करने में कोई रूकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी हिस्सा

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रू.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

Senior Treasury Officer - Mathura
23 DEC 2005
Sig-Sr.T.O.

(3)

2/3 एक मात्र पाक साफ मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 400000/–रूपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी हिस्सा 2/3 की स्टाम्प हेतु मालियत 420000/–रूपया है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रूपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बेचने का मुहायदा वै दिनांक– 29.7.2004 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–1 जिल्द 1227 के सफा 1/16 नंबर–6896 पर हुई द्वितीयपक्ष से तय किया था मुहायदा वै की शर्तो के

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

Senior Treasury
Offiecr - Mathura

23 DEC 2005

Sig-Sr.T.O.

(4)

अनुसार व उसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर उसकी सहमति से किया जा रहा है। जिस मुहायदा वै में 16000/–रूपये का स्टाम्प अदा किया गया था जिसमें से 100/–रूपये का स्टाम्प कमकर 15900/–रूपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र में मुजरा किया जा रहा है व शेष 26100/–रूपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी हिस्सा 2/3 को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 400000/–चार लाख रूपये जिसके आधे 200000/–दो लाख रूपया होते हैं। बदस्त श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का 100000/–रूपया खरीदार से बतौर पैशगी इकरारनामा दिनांक–29.7.2004 पाये व 300000/–तीन लाख रूपये नकद वक्त रजिस्ट्री बैनामा प्राप्त कर बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 2/3 पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

Senior Treasury Officer - Mathura
23 DEC 2005
Sig-Sr.T.O.

मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी हिस्सा 2/3 का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष वारिसानों को बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 2/3 के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार वह सब मुझसे व विक्रेता प्रथमपक्ष वारिसानों व विक्रेता

1000Rs.

Senior Treasury Officer - Mathura
21 DEC 2005
Sig. S.T.O.

(6)

प्रथमपक्ष चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्चे के बसूल करलें । आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता व केता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है। मुख्तारनामा आम दिनांक–30.12.2003 जिसका निबधंन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–4 जिल्द 33 के सफा 163/166 नंबर–560 पर दिनांक–30.12.2003 हुआ है, के द्वारा मुझ राम अग्रवाल पुत्र श्री उमांशकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा को केता श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बैनामा कराने कीमत का रूपया अदा करने व बैनामा रजिस्ट्री कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

6

(7)

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक–24.12.2005
कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया पुत्र स्व0 श्री महेशकुमार
गिर्राज फोटो स्टेट रजिस्ट्री कार्यालय के सामने, मथुरा
ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा ।

[illegible] [illegible] श्यामा देवी [illegible]

गवाह उमेश भारद्वाज पुत्र
श्री कैलाश चन्द्र शर्मा
[illegible]
[illegible]

गवाह राजुद्दीन S/o रमजानी
पता गोपाल नगर
मथुरा

वादि पैमाना

स्टाम्प – 2004

30 23 1992 श्री

प्रताप सिंह पु० ... सिंह

वृं गन्ती कुंज एवं मठ ... मथुरा

Sharad - Chaturvedi

शरद चतुर्वेदी स्टाम्प विक्रेता

ला०नं० 28 सन 2002

दफ्तर रजिस्ट्री, मथुरा

कार्यालय वरिष्ठ ... मथुरा

07 DEC ...

हस्ताक्षर ...

24/12/05

... 1679 ... 137-152

12402

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 07010600254 ग्राम का नाम : आन्यौर परगना : कोसी खुर्द तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1408-1413 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे .)	खातेदार व्दारा देव मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संाराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्प
1	---------2---------			3	4	5	6	7-12	1
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
00331	रामजीलाल	बसन्ता	नि. ग्राम	1360फ 1360फ	41 64	0.3520 0.6360		1408फ व आदेश रा0 नि0 कोसीखुर्द दि0 05.05.01 प क 11 क्रमांक 136 खाता सं0 331 पर रामजीलाल मृतक का खारिज करके वारिस भगवानसिंह व नाहर सिंह पुत्रगण रामजीलाल व श्रीमती रामकटोरी पत्नी स्व0 रामजीलाल नि0 ग्राम बतौर वारिस दर्ज हो। ह0 ले0 05.05.1 1411फ.व आदेश तह0 मथुरा वादस0 377TM/ 7.2.04/12.2.04को आदेश हुआ कि खाता स0 331 स0 41/0.352है0 ल0 4.80व खाता स0 6 के ख0 स 42/0.514है0 ल0 6.90 से विक्रेता पातरिया पुत्र मनीराम नि0 महोलीवहैसियत मुख्तयार नामा इन्दर च पुत्र सुन्नी व ओम प्रकाश पुत्र विरजी व दयोली व शिवचरन पुत्रगण जंगली व भगवान सिह व नाहर सिह पुत्रगण रामजीलाल व रामभरोसी पत्नी राम जी लाल नि0 ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता प्रताप सिह पुत्रश्रीमोहर सिह नि0 मोती कुन्ज एक्सटेशन मौजा विरजापुर का नाम मुख्तार नामा दि0 28.10.02 व 22.10.02 व वैनामादि0 24.10.(26.12.03 दर्ज हों। ह0 ले0 17.02.4 1413फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार मथुरा वाद संख 399TM ता.फे. 27.1.06 के अनुसार खाता संख्या 3 खसरा संख्या 64 रकवा 0.630 भू.रा.8.60 के 2/3 भ से विक्रेता भगवान सिंह पुत्र रामजीलाल व रामकटोरी	

रजिस्ट्रार कानूनगो

ग्राम क्रमांक : 07010600254 ग्राम का नाम : आन्यौर परगना : कोसी खुर्द तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1408-1413 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सांराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्प
1	---2---			3	4	5	6	7-12	1
								पत्नी रामजीलाल निवासी आन्यौर का नाम खारिज करं क्रेता प्रताप सिंह पुत्र मौहर सिंह निवासी मोजीकुन्ज एक्सटेंशन मथुरा का नाम बतौर सं.भू. दर्ज हो। ह.र.का.27.1.06	
					कुल गाटे : 2	कुल क्षे : 0.9880	13.40		

हस्ताक्षर

11/1/2006

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या 19/2006-07

प्रतापसिंह बनाम सरकार

धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0

मौजा आन्यौर.

~~नकल~~ घोषणा अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0

तहसीलदार, मथुरा की आख्या दिनांक 15.11.2006 से विदित है कि मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या 6 खसरासंख्या 62/0.833, खातासंख्या 75 खसरासंख्या 42/0.514, खाता संख्या 160खसरा संख्या 65/0.445, खाता संख्या 204 खसरासंख्या 59/0.612, खाता संख्या 331 खसरा संख्या 64/0.414 व 41/0.352है. मे प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन मौजा विरजापुर तहसीलवजिलामथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात हैं। मौके पर यह भूमि कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, पशुपालनआदि कृषि के उपयोग में नहीं लाई जा रही है। इस भूमि में गांव सभा भूमि प्रस्तावित नहीं हैं और न यह भूमि किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग द्वाराअधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं हैं। तहसीलदार, मथुरा द्वारा आवन्दी घोषित किए जाने की संस्तुति की गई है।

अतः प्रश्नगत भूमि को तहसीलदार, मथुरा की उक्त आख्यानुसार निम्न प्रकार अकृषिक घोषित किया जाता है।

मौजा परगना व जिला	भूमिधर का नाम, पिता का नाम व निवास स्थान	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	भूराजस्व	अकृषिक उपयोग में आने वाली भूमि का विवरण खसरा	रकबा	भूराजस्व	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्यौर मथुरा	प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन मौजा विरजापुर तहसील व जिला मथुरा	6	62	0.833	13.65	62	0.833	13.65पैसे	
			42	0.514	6.90	42	0.514	6.90पैसे	
		75	38	0.093	1.50	38	0.093	1.50पैसे	
		160	65	0.445	8.10	65	0.445	8.10पैसे	
		204	59	0.612	10.10	59	0.612	10.10पैसे	
		331	64	0.414	5.60	64	0.414	5.60पैसे	
			41	0.352	4.80	41	0.352	4.80पैसे	
	योग-	05किता	07किता	3.263	50.65	07किता	3.263है.	50.65	

उपरोक्त घोषणा की एक-एक प्रति तहसीलदार, मथुरा व उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखों में इन्द्राज करने हेतु भेजी जावे।

दिनांक: 22.11.2006

(अवनीश कुमार शर्मा)
उप जिलाधिकारी, मथुरा।

5210

प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुराव उप निबन्धक, मथुराको उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

22/11/06

28/11/06

दिनांक: 22.11.2006

(अवनीश कुमार शर्मा)